तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज रणछोड़सिंह बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 44 / 2020	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.03.20	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी रणछोड़ सिंह गहलोत, पता 8, मील बारली मण्डावता, पोस्ट सूरपूरा मण्डोर, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 25.12.2019 में उसके द्वारा (1) ग्राम मण्डोर प्रथम तहसील व जिला जोधपुर में खातेदार रणछोड़ सिंह पुत्र गोमाराम गहलोत के खसरा नम्बर 378 व 388 एवं अन्य खातेदारों के खाता संख्या के नक्शा जारी किया गया, नक्शे की नकल मुझे मेरे खातों की भूमि की पैमाईश करवाने हेतु प्रमाणित प्रति व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थीपक्ष अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(तहसीलदार जोधपुर) से जरिये पत्रांक / 199 दिनांक 28.02.2020 प्राप्त हुआ। तहसीलदार जोधपुर द्वारा प्रार्थी को जरिये पत्रांक .. दिनांक 28.02.2020 सूचित किया गया कि ग्राम मण्डोर के ख.नं. 378 व 388 व अन्य खातेदारों की भूमि का सीमांकन करने हेतु नक्शें की नकल चाही जाने पर हलका पटवारी मण्डोर से रिपोर्ट प्राप्त की गई तथा पटवारी हलका मण्डोर की रिपोर्ट के अनुसार पटवार हलका मण्डोर प्रथम एवं द्वितीय में प्रमाणित नक्शा उपलब्ध नहीं है जिसके अभाव में नक्शे की प्रमाणित प्रति दिया जाना संभव नहीं है। चूंकि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना तहसील कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने बाबत् सूचित किया जा चुका है अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राप्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने का एक माह अवधि नियत की गई है परन्तु लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को नियत अवधि मे सूचित नहीं किया गया जो खेदजनक है अतः लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में ऐसे प्राप्त प्रार्थनों का निस्तारण नियत अवधि में किया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	